

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-५/स्थानातरण/अर्थशास्त्र/2019-20/दिनांक-29.09.2019 के तहत रजनी भोला, व्याख्याता, अर्थशास्त्र राबाउमावि, बड़ी महारानी रामपुरा, कोटा का स्थानांतरण राउमावि कस्वाथाना, शाहबाद, बांरा किया गया। रजनी भोला ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3494/19 रजनी भोला बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3494/19 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.19 द्वारा अपीलार्थीया रजनी भोला को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थीया रजनी भोला द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विधय होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि सोगरिया कोटा किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।


अपीलार्थीया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी गांग पर विचार किया गया। माननीय अपील अधिकरण जयपुर के आदेश की अनुपालना में दोहरा पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से अपीलार्थीया का पदस्थापन संशोधन राबाउमावि, बड़ी महारानी रामपुरा, कोटा स्थानांतरणधीन राउमावि कस्वाथाना, शाहबाद, बांरा से राउमावि सोगरिया कोटा व्याख्याता अर्थशास्त्र के रिक्त पद पर किया जा कर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।


(नन्दमल डिले)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-५/अभ्यावेदन/19-20/454

दिनांक:- 18/11/2019

- > प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01 संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
03 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
04 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, कोटा को सूचनार्थ
05 जि.सि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
06 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय पैमासाइट पर अपलोड हेतु।
08 संबंधित प्राधानाधार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान